an>

Title: Need to take effective steps for eradication of child labour in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : देश की आज़ादी के 67 साल बाद भी हमारे देश में लगभग 10 करोड़ बाल श्रमिक मौजूद हैं, जिनमें दो तिहाई ग्रामीण अंचल में हैं और एक तिहाई शहरी अंचल में हैं। शहरों में लगभग 50 लाख बाल श्रमिक घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे आदिवासी, गरीब और पिछड़े समुदाय से सम्बन्धित हैं। हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना मुक्तिगामी चेतना है। ऐसे में एक भी बच्चे का गुलाम बनना भारतीय संस्कृति के ऊपर एक काला धब्बा है।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 में भी कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा कारखाने में काम नहीं करेगा। इसके अलावा शोषण के विरूद्ध राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 में भी कहा गया है कि बचपन और युवावस्था की रक्षा की जाएगी। देश के संविधान में इसकी व्यवस्था होने के बावजूद अभी भी कहीं न कहीं पत्थर की खदानों में, ईंटों के भट्ठों पर, घरों में, खेतों-खलिहानों में, चाय के ढाबों में बच्चे दूसरों की गुलामी करते हुए अपना बचपन बर्बाद कर रहे हैं और अपने बचपन की कीमत पर दूसरों के लिए दौलत पैदा कर रहे हैं। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल श्रमिकों के हित में काम करने वाली यूनीसेफ संस्था ने कहा है कि 21वीं सदी में बाल श्रमिक पूरी दुनिया पर एक बदनुमा दाग है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं।

इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि वह देश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु तत्काल ठोस कदम उठाने की कृपा करें।